रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2004/भाद्र 31, 1926
No. 416] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2004/BHADRA 31, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2004

सं. 29/2004-सेवा कर

सा.का.नि. 632(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी बैंककारी या वित्तीय संस्थान जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी सम्मिलित है, या किसी अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा किसी कक्षीकार को प्रदान की गई सेवा जो कि,—

(क) अधी ड्राफ्ट सुविधा;

(ख) नकद प्रत्यय सुविधा; या

(ग) बिल, विनिमय पत्र या चैक डिस्काउटिंग,

से संबंधित है, को उतने कर योग्य सेवा मूल्य जो कि इस अधी ड्राफ्ट पर ब्याज की राशि, नकद प्रत्यय या डिस्काउंट के समतुल्य हो, को उक्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय सेवा कर से इस शर्त के साथ छूट देती है कि ब्याज राशि यथास्थिति बीजक, बिल अथवा चालान में अलग से प्रदर्शित की गई हो।

[फा. सं. बी2/8/2004-टीआरयू]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd September, 2004

No. 29/2004-Service Tax

G.S.R. 632(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts so much of the value of taxable service provided to a customer, by a banking company or a financial

institution including a non-banking financial company, or any other body corporate or commercial concern, in relation to,—

(a) overdraft facility;

(b) cash credit facility; or

(c) discounting of bills, bills of exchange or cheques,

as is equivalent to the amount of interest on such overdraft, cash credit or, as the case may be, discount, from the service tax leviable thereon under Section 66 of the said Act, subject to the condition that the said interest amount is shown separately in an invoice, a bill or, as the case may be, a challan issued for this purpose.

[F. No. B2/8/2004-TRU]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2004

सं. 30/2004-सेवा कर

सा.का.नि. 633(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 का और संशोधन करते हुए, निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात :—

(1) (i) यह नियम सेवाकर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2004 के नाम से जाने जायेंगे ।

(ii) यह नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(2) सेवाकर नियम, 1994 में, नियम 4क में,-

(I) उप नियम (1) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

" परंतु ऐसी स्थिति में यदि करादेय सेवा प्रदाता, जो कि बैंककारी या वित्तीय संस्थान, जिसके अंतर्गत कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी सम्मिलित है, अथवा कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान हो, जो कि बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवा प्रदान करता है, यथास्थिति बीजक, बिल अथवा चालान, ऐसा कोई भी प्रपत्र सम्मिलित करेंगे जो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, और जिसमें क्रम संख्या लिखी हो अथवा नहीं, कर सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता प्रदर्शित हो अथवा नहीं परंतु इस उपनियम में वांछित अन्य सूचनाओं को प्रदर्शित करता हो ।";

(II) उप नियम (2) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

" परंतु ऐसी स्थिति में यदि इनपुट सेवा वितरक, जो कि बैंककारी या वित्तीय संस्थान जिसके अंतर्गत कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी सम्मिलित है, अथवा कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान जो कि बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवा प्रदान करता हो, का कार्यालय है, यथास्थिति बीजक, बिल अथवा चालान, ऐसा कोई भी प्रपत्र सम्मिलित करेंगे जो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, और जिसमे क्रम संख्या लिखी हो अथवा नहीं परंतु इस उपनियम में वांछित अन्य सूचनाओं को प्रदर्शित करता हो ।" ।

[फा.सं.बी2/8/2004-टीआरयू]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 2/1994-सेवाकर, तारीख 28 जून, 1994 [सा.का.नि. 546 (अ), तारीख 28 जून, 1994] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 27/2004-सेवाकर, तारीख 13 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि. 610 (अ), तारीख 13 सितम्बर, 2004] द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2004

No. 30/2004-Service Tax

G.S.R. 633(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with Sub-section (2) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Fourth Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Service Tax Rules, 1994, in rule 4A,-

(a) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted at the end, namely,-
" Provided that in case the provider of taxable service is a banking company or a financial institution including a non-banking financial company, or any other body corporate or commercial concern, providing service to a customer, in relation to banking and other financial services, an invoice, a bill or, as the case may be, challan shall include any document, by whatever name called, whether or not serially numbered, and whether or not containing address of the person receiving taxable service but containing other information in such documents as required under this sub-rule.";

(b) in sub-rule (2), at the end, the following proviso shall be inserted at the end, namely,-
" Provided that in case the input service distributor is an office of a banking company or a financial institution including a non-banking financial company, or any other body corporate or commercial concern, providing service to a customer, in relation to banking and other financial services, an invoice, a bill or, as the case may be, challan shall include any document, by whatever name called, whether or not serially numbered but containing other information in such documents as required under this sub-rule.".

[F. No. B2/8/2004-TRU]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

Note :—The principal rules were notified *vide* notification No. 2/94-Service Tax dated the 28th June, 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and were last amended *vide* notification No. 27/2004-Service Tax, dated the 13th September, 2004 [G.S.R. 610(E), dated the 13th September, 2004].

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 634(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 में, पृष्ठ 5 में, लाइन 30 में, " , पता और पंजीकरण सं." के स्थान पर "और पता" पढ़ा जाये।

[फा.सं. बी2/3/2004-टीआरयू]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd September, 2004

G.S.R. 634(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2004-Service Tax, dated the 10th September, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 585(E), dated the 10th September, 2004, at page 7, in line 6, *for* ", address and the registration number", *read* "and address".

[F.No. B2/3/2004-TRU]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.